



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04032021-225634
CG-DL-E-04032021-225634

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 942]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 3, 2021/फाल्गुन 12, 1942

No. 942]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 3, 2021/PHALGUNA 12, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2021

का.आ. 1021(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले में NH965G के कि.मी. 22.175 से कि.मी. 44.784 (महसूल गल्ली ऑप पोलीस स्टेशन जत सांगली) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सब डिविशनल ऑफिसर जत को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले में NH965G के कि.मी. 22.175 से कि.मी. 44.784 (महसूल गल्ली ऑप पोलीस स्टेशन जत सांगली) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

का.आ. _____ (अ) - केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रिय राजमार्ग अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ४८) की धारा के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड ३ उपखंड (ii) भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की सं.का.आ २७२५(अ) दिनांक २२.०८.२०१७ और २६५९(अ) दिनांक १६.०८.२०१७ को प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है; अर्थात् -

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, -

क्रम सं. १ के सामने कॉलम सं ७ में जिला "सांगली" तालुका "जत" से संबंधित गाव "सिंघनहल्ली" और "अचकनहल्ली" तथा क्रम सं. १ के सामने कॉलम सं ७ में जिला "सोलापुर" तालुका "सांगोला" से संबंधित गाव "कडलास" के नाम को हिंदी राजपत्र में सही करना जरूरी है;

क्र. संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिल्हा	तालुका	गाव का नाम (प्रकाशित)	गाव का नाम (सुधारित)
1	उपप्रभागीय अधिकारी, मंगळवेढा	किमी 0/00 ते २२/१७५	महाराष्ट्र	सोलापुर	सांगोला	कडालास	कडलास
2	उपप्रभागीय अधिकारी, जत	किमी २२/१७५ ते ४४/७८४	महाराष्ट्र	सांगली	जत	सिंघानहल्ली अचकनली बाही बाजू	सिंघनहल्ली अचकनहल्ली

पाद टिप्पणी:—मुख्य अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड ३, उपखंड (ii) दिनांक २२.०८.२०१७ में का.आ. २७२५(अ) और दिनांक १६.०८.२०१७ में का.आ. २६५९(अ) के द्वारा प्रकाशित किया गया था।

[फा. सं. 12037/46/2017-MAH-P6/3A1 Corr.]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2021

S.O. 1021(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH965G in the stretch of land from Km. 22.175 to Km. 44.784 (Mahsool galli Opp Police station Jat Sangali) in the district of SANGLI in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land. Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in

the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer Jat in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH965G in the stretch of land from NH965G (Mahsool galli Opp Police station Jat Sangali) in the district of SANGLI in the state of MAHARASHTRA.

S.O.....(E).—In exercise of power conferred by clause (a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notifications of the Govt. of India in the Ministry of Road Transport and Highways S.O. 2725(E) dated 22.08.2017 and 2659(E) dated 16.08.2017 published in Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-Section (ii), namely:—

In the Schedule to the said notification, —

- (i) Against serial no.1 relating to District “Sangli” and Taluka “Jath” in the 7th column, Village name “Singhanhalli” “Achakanhalli” and Against serial no.1 relating to District “Solapur” and taluka “Sangola” in the 7th column, Village name “Kadlas” needs to be pronounced correctly in Hindi notification as per the Revenue Department records.

Sr. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluka	Village name (Notified)	Village name to be corrected
1	Sub Divisional Officer Mangalwedha	Km 0/00 to 22/175	Maharashtra	Solapur	Sangola	Kadals	Kadlas
2	Sub Divisional Officer Jath	Km 22/175 to 44/784	Maharashtra	Sangli	Jath	Singhanhali Achacknali	Singhanhalli Achakanhalli

Foot Note:—The principal notification were published vide S.O. 2725(E) dated 22.08.2017 and 2659(E) dated 16.08.2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii).

[F. No. 12037/46/2017-MAH-P6/3A1 Corr.]

RAJESH GUPTA, Director